

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जून 2016—ज्येष्ठ 16, शक 1938

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

क्र. 1412-फा. 4-अड़तालीस-98-(सं.का.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) में, शब्द “परीक्षा/चयन/साक्षात्कार” के स्थान पर, शब्द “परीक्षा/चयन” स्थापित किए जाएं.
2. नियम 9 में, उपनियम (1) में, शब्द “परीक्षा, साक्षात्कार या चयन” के स्थान पर, शब्द “परीक्षा या चयन” स्थापित किए जाएं.
3. नियम 10, में, शब्द “परीक्षा/साक्षात्कार” के स्थान पर, शब्द “परीक्षा” स्थापित किए जाएं.
4. नियम 11 में, उपनियम (2) में, शब्द “परीक्षा/चयन/साक्षात्कार” के स्थान पर, शब्द “परीक्षा/चयन” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2016

क्र. 1413-फा. 4-अड़तालीस-98-(सं.का.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1412-फा. 4-अड़तालीस-98-(सं.का.), दिनांक 6 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th June 2016

No. 1412-F-4-XLVIII-98 (P.A.).—In cexercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Parliamentary Affairs Department Class III Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 6, in sub rule (1), in clause (a), for the words "examination/selection/interview", the words "examination/selecton" shall be substituted.
2. In rule 9, in sub rule (1), for the words "examination, interview or selection", the words "examination or selection" shall be substituted.
3. In rule 10, for the words "examination/interview", the word "examination" shall be substituted.
4. In rule 11, in sub rule (2), for the words "The examination/selection/interview", the words "The examination/selection" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH GUPTA, Addl. Secy.